(वाद संख्या–7174/2018)

08.02.2022

संचिका आज उपस्थापित की गयी।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, भा0द0स0 की धाराओं–302/392 के अन्तर्गत संस्थित चकिया थाना कांड सं0–06/2012, दिनांक–08.01.2012 के अन्तर्गत परिवादीगण (हीरा सहनी व उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी) को बिना किसी युक्तिसंगत आधार के अनुसंधानकर्त्ता, पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा दिनांक–14.12.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी के अपने प्रतिवेदन–04 में परिवादीगण को न्यायिक अभिरक्षा से तत्काल मुक्त करने हेतु न्यायालय में अविलम्ब प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश देने के बावजूद भी उक्त अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर परिवादीगण को अनावश्यक रूप से न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने से संबंधित है।

उक्त पर राज्य आयोग की ओर से सम्यक् विचारोपरान्त परिवादीगण के साथ, लोक प्राधिकार द्वारा मानवाधिकार के हनन का मामला पाकर, क्षतिपूर्ति के रूप में दोनो परिवादीगण को संयुक्त रूप से दो लाख रूपये की राशि का भुगतान उसके संयुक्त बैंक खाते में किये जाने का निर्देश दिया गया।

राज्य मानवाधिकार आयोग के दिनांक–14.09.2020 के उपरोक्त आदेश के आलोक में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा दोनों परिवादीगण को संयुक्त रूप से दो लाख रूपये की राशि के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है।

उक्त के आलोक में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के उपरोक्त कथित स्वीकृत्यादेश (पृ0–20/प0) की प्रति संलग्न कर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को यह निर्देश दिया जाय कि उपरोक्त स्वीकृत्यादेश के अनुपालन में यथाशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना व परिवादीगण को अवगत करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक